(11)

राजस्व नि० प्र० क्रं० / 2012

प्रस्तुती दिनांक 19-1-2012

न्यायालय- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, इन्दौर केम्प, (म०प्र०

R-122-PBR/2012

श्री देवेन्द्र खण्डेलवाल- अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 19-1-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत। 19-1-12

1- अशोक मिश्रा पिता स्व० श्री कृष्णदासजी मिश्रा
5/8, उषागंज छावनी, इन्दौर (म०प्र०)

2- गोपाल मिश्रा पिता स्व०श्री कृष्णदासजी मिश्रा
5/8, उषागंज छावनी, इन्दौर (म०प्र०) -- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1- तहसीलदार तहसील व जिला इन्दौर
2- श्रीमती सरोज पति मदनलाल हार्डिया
3- राजेन्द्र पिता मदनलालजी हार्डिया
4- श्रीमती उषा पति किशोरीलालजी
5- श्रीमती किरण पति जितेन्द्रस्वरूप जी
6- श्रीमती प्रेरणा पति राकेश वर्मा
70, हार्डिया कम्पाउन्ड, छावनी इन्दौर

7- लक्ष्मीनारायण कन्हैयालाल
8- छोटेलाल पिता कन्हैयालाल
7-डी नन्दनवन कालोनी, नवलखा, इन्दौर

9- मुरारीलाल पिता गयादीन
10- अशोक पिता गयादीन
11- सतीश पिता गयादीन
12- श्रीमती रमादेवी पति गयादीन
निवासी- खंडेलवालनगर, कम्पाउन्ड के पास,
इन्दौर (म०प्र०) --- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय की सेवा में उक्त प्रार्थीगण उक्त प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर इन्दौर द्वारा प्रकरण निगरानी क्रमांक 48/निग

क्रमांक 48/ निगरानी/10-11 में पारित आदेश दिनांकित 30-11-2011 से असन्तुष्ट होकर निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करते हैं ---

1) प्रकरण की वस्तुस्थिति-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 122-पीबीआर/2012 जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 2 व 3 की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	